सड़क मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत है या नहीं, इसकी सूची साथ रहेगी

राज्य ब्यूरो, पटना : टूट गयी सड़कों के बारे में अब रोड लिस्ट देखकर पता चलेगा कि टूटी सड़क पथ निर्माण विभाग की रोड मेंटिनेंस पॉलिसी से आच्छादित है या नहीं। अगर सड़क रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के अधीन है तो एक तय अवधि में उसकी मरम्मत निर्माण कंपनी को करानी होगी। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने गुरुवार को रोड प्रमंडल आधारित रोड लिस्ट और इससे संबंधित सीडी का लोकार्पण किया। इसके साथ एक ब्रोशर भी जारी किया गया है जिसमें यह जानकारी दी गयी है कि टूट गयी सड़क की कौन त्रुटि कितनी अवधि में दुरुस्त की जानी है।

- पथ निर्माण मंत्री ने सभी जिलों की सड़कों की सीडी व लिस्ट जारी की
- कौन काम कितनी अवधि में होगा यह भी जानकारी दी गई

पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि यह सूची सभी जन प्रतिनिधियों व अन्य हितधारकों को उपलब्ध करायी जा रही है ताकि उन्हें यह जानकारी रहे कि उनसे संबंधित इलाके कि कौन-कौन सी सड़क की मरम्मत के लिए सरकार नियमित रूप से निर्माण कंपनी को राशि उपलब्ध कराती है। उन्होंने बताया कि 8060 किमी में 74 पैकेज के तहत 934 सड़कों को रोड मेंटेनेंस पालिसी के तहत लिया गया है। इसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और स्टेट हाईवे दोनों शामिल हैं।

मंत्री ने यह जानकारी दी कि 2015 से अब तक 855 शिकायतें सड़कों के बारे में मिली हैं। इनमें से 853 शिकायतों को निष्पादित किया जा चुका है। हाल ही में पथ निर्माण विभाग ने एक ड्राइव चलाकर यह जानकारी जुटायी कि सड़कों के रख रखाव का काम तय मानक के हिसाब से हो रहा या नहीं। इस क्रम में पांच रोड पैकेज का काम मानक के तहत नहीं पाया गया। इसके लिए संबंधित डिवीजन के इंजीनियरों व निर्माण कंपनी को चेतावनी दी गयी है। अगले वर्ष रोड मेंटिनेंस पॉलिसी की अवधि खत्म हो जाएगी।